

अध्याय-1
विहंगावलोकन

अध्याय-1

विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तराखण्ड 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 46,035 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय है तथा 7,448 वर्ग किलोमीटर मैदानी है। राज्य में 38,117 वर्ग किलोमीटर (71 प्रतिशत) वन क्षेत्र है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखण्ड की आबादी 1.01 करोड़ है, जिससे यह भारत का 20 वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन गया है।

राज्य में बीते दशक में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हुई तथा वर्ष 2011-12 से 2020-21 तक की अवधि के लिए राज्य की प्रचलित दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) तथा प्रति व्यक्ति स रा घ उ की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) क्रमशः 7.57 प्रतिशत तथा 6.29 प्रतिशत रही, तथापि यह अखिल भारतीय स रा घ उ के सी ए जी आर (10.11 प्रतिशत) तथा अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति स रा घ उ सी ए जी आर (8.86 प्रतिशत) से कम थी।

सामाजिक संकेतक यथा साक्षरता दर और जन्म पर नवजात शिशु मृत्यु दर दर्शाते हैं कि राज्य में 2021-22 में साक्षरता दर (78.80 प्रतिशत) तथा 2021-22 में नवजात शिशु मृत्यु दर (24 प्रति 1,000 जीवित जन्म) अखिल भारतीय औसत दर (73.00 प्रतिशत एवं 28 प्रति 1,000 जीवित जन्म) से बेहतर थी। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) जनसंख्या की प्रतिशतता 11.26 प्रतिशत थी, यह भी अखिल भारतीय औसत (21.92) से काफी कम थी (परिशिष्ट-1.1)।

1.1.1 उत्तराखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) एक निर्धारित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। स रा घ उ में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान में बदलाव भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

देश के स रा घ उ के सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य के स रा घ उ (नाममात्र) की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियों को तालिका-1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.1: प्रचलित दरों पर स घ उ तथा स रा घ उ में वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20 ♣	2020-21♥	2021-22♣
राष्ट्रीय स घ उ (2011-12 शृंखला)	1,70,90,042	1,88,99,668	2,00,74,856	1,98,00,914	2,36,64,637
प्रचलित दरों पर पिछले वर्ष की तुलना में स घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.03	10.59	6.22	-1.36	19.51
राज्य का स रा घ उ (2011-12 शृंखला)	2,20,222	2,30,327	2,36,988	2,34,660	2,53,832
प्रचलित दरों पर पिछले वर्ष की तुलना में स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.86	4.59	2.89	-0.98	8.17

आँकड़ों का स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड।


♥ अन्तिम अनुमान, ♣ त्वरित अनुमान, ♣ अग्रिम अनुमान।

जैसा कि ऊपर दिये गए विवरण से देखा जा सकता है, 2017-18 एवं 2020-21 के दौरान उत्तराखण्ड के स रा घ उ की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक थी। तथापि, 2018-19, 2019-20 और 2021-22 वर्षों के दौरान यह राष्ट्रीय वृद्धि दर से कम थी।

1.1.2 स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान

चार्ट-1.1 से पता चलता है कि 2017-18 से 2021-22 तक पाँच साल की अवधि के दौरान, स रा घ उ में कृषि एवं सेवा क्षेत्र के संबंधित अंश में वृद्धि हुई है, जो क्रमशः 2017-18 में 8.70 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 10.23 प्रतिशत तथा 2017-18 में 36.15 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 39.77 प्रतिशत हो गई है। हालांकि, उद्योग क्षेत्र के संबंधित अंश में 2017-18 में 46.13 प्रतिशत से 2021-22 में 42.67 प्रतिशत की कमी देखी गई।


चार्ट-1.1: स रा घ उ (2017-18 से 2021-22) में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन



आँकड़ों के स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड।

जैसा कि चार्ट-1.2 में देखा जा सकता है, 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में, उद्योग क्षेत्र, और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि देखी जा सकती है जबकि कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर में गिरावट देखी गई:

चार्ट-1.2: स रा घ उ में क्षेत्रीय वृद्धि



आँकड़ों के स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य के लेखों से संबंधित, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) के प्रतिवेदनों को राज्य के राज्यपाल को सौंपा जाना है, जिसे उनके द्वारा राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाया जाएगा। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उत्तराखण्ड की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले ऐसे लेखों को रखने के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रदान किए गए वाउचर, चालान और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से प्रति वर्ष राज्य के वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करता है। इन लेखों की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित की जाती है।

वर्ष 2021-22 के लिए राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए मुख्य आँकड़े निर्मित करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट, आँकड़ों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है - राजकोषीय मापदंडों और अनुमानों की तुलना में आवंटित प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने और संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए;
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;

- विभागीय अधिकारियों और कोषागारों (लेखांकन के साथ-साथ प्रबंधन सूचना प्रणाली) के साथ अन्य आँकड़े;
- स रा घ उ के आँकड़े और अन्य राज्य से संबंधित सांख्यिकी; और
- वर्ष 2017-22 के दौरान भारत के नि म ले प के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का यथोचित उपयोग इस विश्लेषण/टिप्पणी को तैयार करने के लिए भी किया गया है।
- यथा आवश्यक, राज्य सरकार से भी सूचना प्राप्त की गई।

यह विश्लेषण, पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (यू एफ आर बी एम) अधिनियम 2020, भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशा-निर्देशों के संदर्भ में किया गया है। उत्तराखण्ड सरकार, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ दिसम्बर 2022 में एक प्रवेश गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को समझाया गया। ड्राफ्ट प्रतिवेदन जनवरी 2023 में टिप्पणियों के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया गया और फ़रवरी 2023 में बहिर्गमन गोष्ठी की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार के उत्तर इस प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर शामिल किए गए हैं।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, प्रतिवेदन में दिये गए सभी सुझावों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

रा वि ले प्र निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित है:

अध्याय - 1	विहंगावलोकन यह अध्याय रिपोर्ट और अंतर्निहित आँकड़ों के आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के वृहद राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।
अध्याय - 2	राज्य के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है; पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियाँ, राज्य की ऋण स्थिति और राज्य के वित्त लेखों के आधार पर प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों का विश्लेषण करता है।
अध्याय - 3	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है तथा राज्य सरकार के विनियोगों और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं एवं बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन की समीक्षा करता है।

अध्याय - 4	लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।
अध्याय - 5	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की भूमिका यह अध्याय सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखों के आधार पर उनके वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है।

1.4 सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

इस रिपोर्ट के अध्याय-2 में दिए गए राज्य सरकार के वित्त के विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए सरकारी लेखों की संरचना को समझना आवश्यक है। राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

1. राज्य की समेकित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। इस निधि से विधि के अनुसार और उद्देश्यों के लिए तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीकों के अतिरिक्त किसी भी धन को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (उदाहरण के लिए, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर भारित होती हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय पर (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2)}

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया है तथा इसे ऐसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम प्रदान करने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है जिस पर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति लंबित हो। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष से व्यय को नामें करते हुए की जाती है।

3. राज्य के लोक लेखा {संविधान का अनुच्छेद 266 (2)}

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक धन, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखे में जमा किया जाता है। लोक लेखे के अंतर्गत देनदारियाँ जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित

निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों ही क्षणिक शीर्ष हैं, अंतिम बुकिंग होने पर) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष राशि भी लोक लेखा के अंतर्गत शामिल की गयी है। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अतिरिक्त, बजट में राजस्व लेखों में व्यय को अन्य व्यय से अलग करना आवश्यक होता है।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, केंद्रीय करों/शुल्कों का अंश और भारत सरकार से अनुदान शामिल होते हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज के लिए किए गए व्ययों, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदानों से संबंधित है (यद्यपि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं)।

पूँजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित हैं:

- **ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिमों की वसूली;

पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शयरो में निवेश तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) और अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर होने वाला व्यय शामिल है।


वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एकल लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो क्रियाशील और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक की मुख्य और लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4 अंक)
	उप-कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2 अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छूट	योजना	उप शीर्ष (2-अंक)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2 अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	वस्तु शीर्ष- वेतन, लघु कार्य आदि (2-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजी, ऋण, आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद

करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के पहले अंक में सन्निहित संख्या से तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए, 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए है। आर्थिक वर्गीकरण भी एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ वस्तु शीर्षों के वितरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः "वेतन" वस्तु शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" वस्तु शीर्ष पूँजीगत व्यय है। वस्तु शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

सरकारी लेखों की संरचना



बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत, राज्य का राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 203 के अंतर्गत, यह विवरण अनुदान/विनियोगों की मांग के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद संचित निधि में से अपेक्षित धन का विनियोग प्रदान करने के लिए विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य बजट नियमावली में बजट निर्माण प्रक्रिया का ब्यौरा और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और उसकी व्यय गतिविधियों का अनुश्रवण करने के दिशानिर्देश दिये गये हैं। बजट की लेखा परीक्षा जाँच और राज्य सरकार के अन्य बजटीय पहलुओं के कार्यान्वयन के परिणाम इस रिपोर्ट के अध्याय-3 में वर्णित हैं।

1.4.1 वित्त का सूक्ष्मावलोकन

तालिका-1.2 वर्ष 2020-21 के वास्तविक के सापेक्ष वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

तालिका-1.2: वास्तविक के सापेक्ष बजट की तुलना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2020-21 (वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (वास्तविक)	ब अ से वास्तविक की प्रतिशतता	स रा घ उ से वास्तविक की प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	18,507	20,195	24,082	119.25	9.49
(i)	करेत्तर राजस्व	11,938	12,754	14,176	111.15	5.58
(ii)	केंद्रीय करों का अंश	6,569	7,441	9,906	133.13	3.90
2.	करेत्तर राजस्व	4,171	3,294	2,756	83.67	1.09
3.	सहायता अनुदान और योगदान	15,527	20,662	16,219	78.50	6.39
4.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	38,205	44,151	43,057	97.52	16.96
5.	ऋण और अग्रिमों की वसूली	23	23	17	73.91	0.01
6.	अन्य प्राप्तियाँ	0.20	0	0	0.00	0.00
7.	उधार और अन्य देनदारियाँ (क)	5,439	9,401	3,736	39.74	1.47
8.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	5,462	9,424	3,753	39.82	1.48
9.	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	43,667	53,575	46,810	87.37	18.44
10.	राजस्व व्यय	37,091	44,036	38,929	88.40	15.33
11.	ब्याज भुगतान	4,773	6,053	4,939	81.60	1.95
12.	पूँजीगत व्यय	6,576	9,122	7,881	86.40	3.10
13.	पूँजीगत परिव्यय	6,538	8,973	7,534	83.96	2.97
14.	ऋण और अग्रिम	38	149	347	232.89	0.14
15.	कुल व्यय (10+12)	43,667	53,158	46,810	88.06	18.44
16.	राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) (4-10)	1,114	115	4,128	3589.57	1.63
17.	राजकोषीय घाटा {15-(4+5)}	5,439	8,984	3,736	41.59	1.47
18.	प्राथमिक घाटा (17-11)	(-) 666	(-) 2,931	1,203	141.04	0.47

स्रोत: वित्त लेखे।

(क) उधार और अन्य देनदारियाँ: निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ-वितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ-वितरण) + आरंभिक रोकड़ शेष तथा अंतिम रोकड़ शेष का निवल।

1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का सूक्ष्मावलोकन

सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को परिलक्षित करते हैं। दायित्वों में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखों

और आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं, और परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं। राज्य की परिसंपत्तियों और दायित्वों की सारांशित स्थिति तालिका-1.3 में नीचे दी गई है:

तालिका-1.3: परिसंपत्तियों और दायित्वों की सारांशिक स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्व					परिसंपत्तियाँ				
	2020-21	2021-22	प्रतिशत वृद्धि		2020-21	2021-22	प्रतिशत वृद्धि		
समेकित निधि									
अ	आंतरिक ऋण	53,301.55	53,759.17	0.86	अ	सकल पूँजी परिव्यय	64,325.48	71,858.97	11.71
ब	भा स से ऋण और अग्रिम	3,813.10	7,443.32	95.20	ब	ऋण और अग्रिम	2,047.91	2,378.28	16.13
	आकस्मिकता निधि	7.45	231.34	3,005.23					
लोक लेखा									
अ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	8,996.75	9,330.63	3.71		अग्रिम	0.42	0.42	0.00
ब	जमा	4,217.28	3,536.19	(-) 16.15		नकद शेष (चिन्हित निधि में निवेश सहित)	3,575.97	3,837.19	7.30
स	रिजर्व फंड	4,910.59	4,653.02	(-) 5.25					
द	उचत और विविध	203.19	481.01	136.73		योग	69,949.78	78,074.86	11.62
य	प्रेषण	58.72	71.01	20.93		राजस्व लेखे में घाटा	5,558.85	1,430.83	(-) 74.26
	योग	75,508.63	79,505.69	5.29		योग	75,508.63	79,505.69	5.29

स्रोत: वित्त लेखे।

1.5 राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

जब सरकार राजस्व संग्रह से अधिक खर्च करती है, तो उसे घाटा होता है। सरकारी घाटे को मापने हेतु विभिन्न मापक हैं।

<p>राजस्व घाटा/अधिशेष (राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ)</p>	<p>राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> जब सरकार राजस्व घाटा उठाती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि सरकार के पास बचत नहीं है तथा अपने उपभोग व्यय के एक भाग के वित्तपोषण के लिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग कर रही है। राजस्व घाटे का अस्तित्व चिंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को भी पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा, पूँजीगत प्राप्तियों के एक भाग का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने, पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उस सीमा तक पूँजीगत संसाधनों की उपलब्धता को कम करने के लिए किया जाता है। इस स्थिति का तात्पर्य है कि सरकार को न केवल अपने निवेश के वित्तपोषण के लिए बल्कि अपनी उपभोग की आवश्यकताओं के लिए भी उधार लेना होगा। इससे ऋण और ब्याज देनदारियों के भार में वृद्धि होती है और अंततः सरकार व्यय में कटौती करने के लिए बाध्य हो जाती है।
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> यदि राजस्व व्यय का प्रमुख हिस्सा वचनबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियाँ, वेतन, पेंशन) है, तो सरकार उत्पादक व्यय या कल्याणकारी व्यय को कम करती है। इसका तात्पर्य कम वृद्धि और प्रतिकूल कल्याणकारी निहितार्थ होंगे।
<p>राजकोषीय घाटा/ अधिशेष {कुल व्यय- (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर- ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)}</p>	<p><i>यह राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को दर्शाता है।</i></p> <ul style="list-style-type: none"> राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधारी को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं, जो उधार नहीं हैं, और इसलिए, ऋण को बढ़ने नहीं देती हैं। ऋणों की वसूली और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री से होने वाली आय इसके उदाहरण हैं। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण उधार के माध्यम से करना होगा। इस प्रकार, यह सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। सरकारें सामान्यतः राजकोषीय घाटे से गुजरती हैं और पूँजी/परिसंपत्तियों के सृजन या आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए धन उधार लेती हैं, ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्तियाँ आय स्रोत पैदा करके अपने लिए भुगतान कर सकें। इस प्रकार पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गई निधियों का पूरी तरह से उपयोग करना और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना वांछनीय है।
<p>प्राथमिक घाटा/ (सकल राजकोषीय घाटा- निवल ब्याज देनदारियाँ)</p>	<p><i>यह ब्याज भुगतान को घटाकर राजकोषीय घाटे को सन्दर्भित करता है।</i></p> <ul style="list-style-type: none"> निवल ब्याज देयताओं में, ब्याज भुगतान में से सरकार द्वारा निवल घरेलू ऋण पर प्राप्त ब्याज घटाना शामिल होता है। सरकार की उधारी की आवश्यकता में संचित ऋण पर ब्याज दायित्व शामिल हैं। राजस्व से अधिक वर्तमान व्यय के कारण उधार लेने का अनुमान प्राप्त करने के लिए हमें प्राथमिक घाटे की गणना करने की आवश्यकता होती है।

सरकारी ऋण को बढ़ा कर घाटे का वित्तपोषण उधारियों द्वारा किया जाना चाहिए। घाटे और ऋण की अवधारणाओं का गहरा संबंध है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में माना जा सकता है जो ऋण के भार में वृद्धि करता है। यदि सरकार हर वर्ष कर्ज लेती रहेगी तो इससे कर्ज बढ़ेगा और सरकार को ब्याज के रूप में ज्यादा से ज्यादा भुगतान करना होगा। ये ब्याज भुगतान स्वयं ऋण में योगदान देते हैं।

उधार लेकर सरकार भावी पीढ़ी पर कम खपत का बोझ स्थानांतरित कर देती है। इसका कारण यह है कि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बॉण्ड जारी करके उधार लेती है लेकिन करों में वृद्धि या व्यय को कम करके कुछ वर्षों बाद बॉण्ड का भुगतान करने का निर्णय ले सकती है। साथ ही लोगों से सरकार द्वारा उधार लेने से निजी क्षेत्र को उपलब्ध बचत भी कम हो जाती है। इससे पूँजीगत निर्माण और वृद्धि इस हद तक कम हो जाती है कि ऋण भावी पीढ़ी पर 'बोझ' के रूप में कार्य करता है।

हालाँकि, अगर सरकारी घाटा उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य में सफल होता है, तो अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। इस मामले में, सरकार और उद्योग दोनों ही ज्यादा कर्ज ले सकते हैं। साथ ही, यदि सरकार बुनियादी ढाँचे में निवेश करती है, तो आने वाली पीढ़ियाँ बेहतर हो सकती हैं, बशर्ते ऐसे निवेशों पर रिटर्न ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद कर्ज को बोझ नहीं माना जाना चाहिए। कर्ज में वृद्धि को पूरी तरह से अर्थव्यवस्था (स रा घ उ) की वृद्धि से आंका जाना चाहिए।

कर्जों में वृद्धि या खर्च में कमी से सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है। हालाँकि, इसका मुख्य जोर सरकारी व्यय में कमी की ओर रहा है। कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक दक्ष बनाने के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है।

1.5.1 मुख्य राजकोषीय मापदंडों पर एफ आर बी एम लक्ष्य तथा उन पर उपलब्धियाँ

राजकोषीय प्रबंधन में विवेक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (एफ आर बी एम) पारित किया था, जो की वर्ष 2011, 2016 व 2020 में संशोधित किया गया। इसे राजस्व घाटे को समाप्त करके, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करके, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित कर तथा मध्यावधि ढाँचे की पारदर्शिता में सुधार कर किया जाना था। इस संदर्भ में, अधिनियम में घाटे के उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्यों का प्रावधान है।

वर्ष 2011 में एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार को 2013-14 तक राजकोषीय घाटे को अनुमानित स रा घ उ के तीन प्रतिशत तक कम करना और उसके बाद इसी स्तर को बनाए रखना था। 2016 में हुए एफ आर बी एम अधिनियम संशोधन में राजस्व घाटे हेतु किसी लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में यह भी उल्लेखित किया गया था कि राज्य सरकार कुल बकाया ऋण को स रा घ उ के 25 प्रतिशत तक सीमित करेगी।

जुलाई 2020 में एफ आर बी एम अधिनियम में हुए संशोधन में पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ एफ सी) की सिफारिशों, जो कि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य को अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा से संबन्धित थी, को समाहित किया गया। अधिनियम के अनुसार, 'राज्य का राजकोषीय घाटा स रा घ उ के तीन प्रतिशत की वार्षिक सीमा की स्थिरता प्रदान करेगा। राज्य को बिना किसी शर्त के वर्ष 2020-21 के लिए स रा घ उ की 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा मिल सकती है। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए एफ आर बी एम अधिनियम अधिसूचित नहीं किया है, इसलिए वर्ष 2020-21 के लिये अधिसूचित राजकोषीय घाटे की सीमा, जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत, को वर्ष 2021-22 के लिए मान लेते हैं।

एफ आर बी एम अधिनियम (संशोधन) में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदंडों से संबंधित लक्ष्य और 2017-18 से 2021-22 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान उनकी उपलब्धि तालिका-1.4 में दी गई है।

तालिका-1.4: एफ आर बी एम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	राजस्व घाटा का शून्य होना	(-) 1,978	(-) 980	(-) 2,136	(+) 1,114	(+) 4,128
		X	X	X	✓	✓
राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में)	2017-18 से 2019-20 तक तीन प्रतिशत तथा 2020-21 और 2021-22 में 3.5 प्रतिशत	(-) 7,935 (-3.60)	(-) 7,320 (-3.18)	(-) 7,657 (-3.23)	(-) 5,439 (-2.32)	(-) 3,736 (-1.47)
		X	X	X	✓	✓
कुल बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात (प्रतिशत में)	25 प्रतिशत	23.54	25.20	27.84	30.44*	28.12*
		✓	X	X	X	X

स्रोत: वित्त लेखे और एफ आर बी एम अधिनियम और पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन।

* जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त क्रमशः ₹ 2,316 करोड़ एवं ₹ 3,333 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण¹ के अनुसार इस उधार को किसी भी मानदंड जो कि वित्त आयोग आदि, द्वारा निर्धारित किया जा सकता है के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

राज्य ने 2017-18 से 2019-20 के दौरान राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था परंतु 2020-21 तथा 2021-22 में यह लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा था।

वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य का बकाया ऋण स रा घ उ के 25 प्रतिशत से कम रहा जो कि एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित मानदंडों के भीतर था। हालांकि, वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक पिछले वर्ष की तुलना में यह एफ आर बी एम अधिनियम के 25 प्रतिशत के लक्ष्य से क्रमशः 0.20 प्रतिशत, 2.84 प्रतिशत, 5.44 प्रतिशत के ऊपर था। वर्ष 2021-22 के दौरान बकाया ऋण स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में 2.32 प्रतिशत कम हुआ, लेकिन यह 25 प्रतिशत के लक्ष्य से 3.12 प्रतिशत अधिक था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव वित्त के द्वारा अवगत किया गया कि 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 से 2025-26 के लिए एक मार्ग सुझाया है। तदनुसार, 2021-22 के लिए ऋण और स रा

¹ वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग भारत सरकार के पत्र संख्या। एफ.सं.40 (1) पी एफ-एस/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021।

घ उ अनुपात की सीमा 32.60 प्रतिशत है। इस प्रकार, अनुपात सीमा के भीतर है। उन्होंने आगे बताया कि एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है।

1.5.2 मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना

एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वार्षिक बजट के साथ-साथ पाँच वर्षीय राजकोषीय योजना राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) को निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए पाँच साल का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करती है।

तालिका-1.5 राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत एम टी एफ पी एस में 2021-22 के लिए किए गए अनुमानों तथा वास्तविक के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है।

तालिका-1.5: 2021-22 के लिए एम टी एफ पी में अनुमान की तुलना में वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय चर	एम टी एफ पी एस के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक (2021-22)	भिन्नता (प्रतिशत में)
1.	स्वयं कर राजस्व	14,122	14,176	0.38
2.	करेत्तर राजस्व	2,631	2,756	4.75
3.	केंद्रीय करों का अंश	9,897	9,906	0.09
4.	भारत सरकार से अनुदान	17,051	16,219	(-) 4.88
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	43,701	43,057	(-) 1.47
6.	राजस्व व्यय	41,466	38,929	(-) 6.12
7.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (5-6)	2,235	4,128	84.70
8.	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 4,904	(-) 3,736	23.82
9.	ऋण- स रा घ उ अनुपात (प्रतिशत)	31.03	(-) 28.12*	2.91
10.	चालू कीमतों पर स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.17	8.17	0.00

स्रोत: वित्त लेखे और उत्तराखण्ड के बजट दस्तावेज 2021-22।

* जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 3,333 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात की गणना हेतु सम्मिलित नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार इस उधार को किसी भी मानदंड जो कि वित्त आयोग आदि, द्वारा निर्धारित किया जा सकता है के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।


जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, राज्य ने 2021-22 के दौरान एम टी एफ पी एस में राजस्व अधिशेष का अनुमान ₹ 2,235 करोड़ लगाया था, जिसके विपरीत राज्य को ₹ 4,128 करोड़ का अधिशेष हुआ, जो कि अनुमान से 84.70 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार, एम टी एफ पी एस में अनुमानित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य ₹ 4,904 करोड़ था जिसके सापेक्ष

₹ 3,736 करोड़ का राजकोषीय घाटा हासिल हुआ। ऋण-स रा घ उ अनुपात से संबंधित अनुमानों को प्राप्त नहीं किया जा सका तथा वर्ष की समाप्ति पर एम टी एफ पी एस में अनुमानित दरों से नीचे ऋण स रा घ उ अनुपात था। हालांकि, यह एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित 25 प्रतिशत के मानक से ऊपर था।

1.5.3 घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ


राज्य प्रमुख राजकोषीय मापदंडों के संबंध में 2021-22 के दौरान XV वि आ द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था। वर्ष 2021-22 के दौरान इसका राजकोषीय घाटा ₹ 3,736 करोड़ था, जो स रा घ उ का 1.47 प्रतिशत था। 2020-21 के दौरान ₹ 666 करोड़ का प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के दौरान ₹ 1,203 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया और 2020-21 में ₹ 1,114 करोड़ का राजस्व अधिशेष बढ़कर 2021-22 के दौरान ₹ 4,128 करोड़ हो गया। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक पाँच वर्ष की अवधि में इन अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट-1.3 में दर्शाया गया है और स रा घ उ के अनुपात में घाटे की प्रवृत्ति चार्ट-1.4 में दी गई है। राजकोषीय देयताओं के घटक और प्रवृत्ति तथा स रा घ उ से इसकी प्रतिशतता चार्ट-1.5 में दी गई है।

चार्ट-1.3: घाटे के मापदंडों की प्रवृत्तियाँ




स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट-1.4: स रा घ उ के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट-1.5: राजकोषीय देनदारियों और स रा घ उ की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: वित्त लेखे।

जैसा कि ऊपर के ग्राफ से देखा जा सकता है, पिछले पाँच वर्षों के दौरान कुल बकाया दायित्वों में 48.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई और विगत चार वर्षों से यह एफ आर बी एम लक्ष्य से ऊपर थी।

1.6 लेखापरीक्षा परीक्षण के बाद घाटे तथा कुल ऋण

राज्य वित्त की बेहतर स्थिति दर्शाने के लिए, राज्य कभी-कभी राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत और बजट से इत्तर राजकोषीय संचालन करते हैं।

1.6.1 पश्च लेखापरीक्षा-घाटा

पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण और गैर बजट राजकोषीय संचालनों से घाटे के आँकड़ों पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, स्पष्ट दायित्वों को स्थगित करना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना, मोचन निधियों आदि में कम अंशदान भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आँकड़ों पर पहुँचने के लिए, ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव का विश्लेषण किया गया और नीचे तालिका-1.6 में दर्शाया गया:

तालिका-1.6: लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के पश्चात राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव [न्यूनदर्शित (+)/ अतिदर्शित (-)]	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव [न्यूनदर्शित (+)/ अतिदर्शित (-)]	प्रस्तर संदर्भ
अगले वित्त वर्ष के लिए स्पष्ट दायित्वों को आस्थगित करना	(-) 182.28	(+) 182.28	4.2
गारंटी कमीशन शुल्क का लोक लेखे में हस्तांतरण न करना	(-) 1.87	(+) 1.87	2.8.2.3
पूँजीगत के स्थान पर राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत बुक किये गये मुख्य कार्य	(+) 19.64	--	2.6.3.2 (iv)
राजस्व के स्थान पर पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत बुक किया गया सहायता-अनुदान	(-) 25.57	--	2.6.3.2 (iv)
आरक्षित निधि और जमा तथा अग्रिमों के विरुद्ध ब्याज देनदारियों का निर्वहन न करना	(-) 156.49	(+) 156.49	4.3
नई पेंशन योजना में अधिक योगदान	(+) 38.05	(-) 38.05	2.6.2.3
केन्द्रीय सड़क निधि का लेखांकन न किया जाना	(-) 98.80	(-) 131.66	4.10 (स)
हरित ऊर्जा उपकर का हरित ऊर्जा निधि में हस्तांतरण न किया जाना	(-) 72.00	(+) 72.00	एन टी ए का 5(ब) (v)
योग	(-) 479.32	(+) 242.93	

स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण।

उपर्युक्त सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, राजस्व अधिशेष ₹ 4,128 करोड़ से घटकर ₹ 3,649 करोड़ रह जाएगा और राजकोषीय घाटा ₹ 3,736 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,979 करोड़ (स रा घ उ का 1.58 प्रतिशत) हो जाएगा, जो फिर भी एफ आर बी एम अधिनियम 2005 (2020 में संशोधित) के निर्धारित लक्ष्य के अंदर ही रहेगा।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान वित्त विभाग ने आश्वासन दिया कि इन मामलों पर काम किया जाएगा और चालू वर्ष 2022-23 के दौरान अनुपालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत सहायता अनुदान तथा राजस्व व्यय के तहत वृहत कार्यों की बुकिंग के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

1.6.2 पश्च लेखापरीक्षा - कुल लोक ऋण

व्यापक परिभाषा में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण में निम्न ऋण सम्मिलित हैं:

- सरकार (केंद्र, सामाजिक सुरक्षा निधियाँ, और अतिरिक्त बजटीय निधियों सहित);
- वित्तीय सार्वजनिक उद्यम (केंद्रीय बैंक सहित) और गैर-वित्तीय सार्वजनिक उद्यम;
- सरकार के दीर्घकालिक दायित्व, जैसे सामाजिक सुरक्षा निधियों के वित्त पोषित दायित्व (जब उन्हें स्पष्ट रूप से सामान्य सरकारी ऋण के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है);
- आकस्मिक दायित्वों की ज्ञात और प्रत्याशित मान्यता (जैसे, वित्तीय संस्थानों के चल रहे पुनर्गठन से या सार्वजनिक-निजी भागीदारी से जहाँ माँग या अन्य प्रतिभूतियाँ हुई हैं या ट्रिगर होने की ओर अग्रसर हैं)।

ऋण स्थिरता का आकलन करने के लिए, आदर्श रूप में, एक व्यापक लोक ऋण कवरेज महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, सकल ऋण एक उचित अवधारणा है क्योंकि यह ऋण दायित्वों के वित्तपोषण के भार को मापता है जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तरल वित्तीय परिसंपत्तियों की उपलब्धता कम होती है, लेकिन ऋण स्थिरता के जोखिम (जैसे मुद्रा या परिपक्वता असमानता, और सामान्य सरकारी कार्यों के लिए कुछ न्यूनतम स्तर की संपत्ति की आवश्यकता होती है) को समाप्त नहीं कर सकते हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार ने ऋण की अपनी परिभाषा का विस्तार किया। एफ आर बी एम अधिनियम में 2018 में संशोधनों के अनुसार, ऋण में अब लोक ऋण (आंतरिक और वाह्य ऋण), लोक लेखे पर कुल बकाया दायित्व और 'केंद्र सरकार² द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित किसी भी कॉर्पोरेट या अन्य इकाई के ऐसे वित्तीय दायित्व शामिल हैं, जिन्हें सरकार को उस दिनांक के अंत में नगद शेष राशि से कम करते हुये ए.एफ.एस से चुकाना या कम करना होता है।

जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया था, राज्य सरकार की ओर से राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उधार, विशेष प्रयोजन वाहन (एस पी वी) आदि जैसे ऑफ-बजट वित्तीय संचालन के मामले नहीं थे, जहाँ मूलधन और / या ब्याज को राज्य के बजट से चुकाया जाना है।

² यू के एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, "कुल बकाया ऋण/दायित्व" में मात्र राज्य के समेकित निधि तथा लोक लेखे के दायित्व शामिल हैं।

1.7 निष्कर्ष

- 2017-18 में राज्य का राजस्व घाटा ₹ 1,978 करोड़ था जो 2018-19 के दौरान थोड़ा बेहतर होकर ₹ 980 करोड़ हो गया। राजस्व घाटा 2019-20 में और बढ़ गया और ₹ 2,136 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व घाटे में सुधार होकर ₹ 1,114 करोड़ के राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हुआ। चालू वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 4,128 करोड़ था (स रा घ उ का 1.63 प्रतिशत)। आस्थगित देयता, राजस्व और पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण, ब्याज देयता का गैर-हस्तांतरण, आदि के कारण राजस्व अधिशेष को ₹ 479 करोड़ (11.60 प्रतिशत) से अधिक दर्शाया गया था।
- चालू वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटा ₹ 3,736 करोड़ (स रा घ उ का 1.47 प्रतिशत) जो वर्ष 2020-21 के लिए एफ आर बी एम अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स रा घ उ के 3.50 प्रतिशत के मानक लक्ष्य के भीतर था। वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष के कारण राजकोषीय घाटे में सुधार आया। आस्थगित देयता, ब्याज दायित्व का अहस्तांतरण आदि के कारण राजकोषीय घाटा ₹ 243 करोड़ (6.50 प्रतिशत) कम दर्शाया गया था।

1.8 संस्तुतियाँ

- *उत्तराखण्ड सरकार चालू वर्ष (2021-22) के दौरान राजस्व अधिशेष हो गई है और आगामी वर्षों में इसे बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अपनी वर्तमान देनदारियों के निर्वहन में उचित कदम उठा सकती है और इन्हें आस्थगित न किया जाए ताकि सही वित्तीय स्थिति को दर्शाया जा सके। राज्य सरकार द्वारा ब्याज सहित आरक्षित निधियों एवं जमा पर ब्याज का प्रावधान किया जाना चाहिए।*